विदेशी मुद्रा गतिविधियां

1. समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश-उदारीकरण/ युक्तिकरण

भारतीय पार्टी को इस संबंध में परिचालनात्मक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा खाता खोलने/धारण करने/बनाए रखने से संबंधित विनियमों को निम्नवत उदार किया जाए:

भारतीय पार्टी को समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा खाता खोलने/धारण करने/बनाए रखने हेतु अनुमति अब निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाएगी:

i. भारतीय पार्टी, समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी- 2004 के विनियम 6 (यदि लागू हो तो विनियम 7) के अनुसार समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए पात्र हो।

ii. मेजबान देश के विनियम यह विनिर्दिष्ट करते हों कि उस देश में निवेश नामित खाते के माध्यम से करना अपेक्षित है।

iii. मेजबान देश के विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा खाता खोला, धारण किया और बनाए रखा जाएगा।

iv. भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा खाते में विप्रेषित राशि का उपयोग विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लायी जाएगी।

v. उल्लिखित सहायक कंपनी से लाभांश और या अन्य पात्रता के रूप में उक्त खाते में प्राप्त राशि ऐसे खाते में जमा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी।

vi. विदेशी मुद्रा खाते से किए गए नामे और जमा के ब्योरे भारतीय पार्टी अपने सांविधिक लेखापरीक्षक के इस आशय के प्रमाण पत्र कि वे मेजबान देश के कानूनों और मौजूदा फेमा विनियमों /लागू उपबंधों के अनुसार रखे गए हैं, के साथ वार्षिक आधार पर अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रस्तुत करे।

vii. इस प्रकार खोले गए विदेशी मुद्रा खाते संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में विनिवेश होते ही या समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर बंद कर दिए जाएंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 101, 2 अप्रैल 2012]

2. भारत से बाहर दौरे पर निवासी भारतीयों द्वारा इंटरनैशनल डेबिट कार्ड/ स्टोर वैल्यू कार्ड/चार्ज कार्ड/स्मार्ट कार्ड का उपयोग

कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा अनुसरित प्रणाली के अनुसार ट्रैवेल कार्ड के क्रेता निवासी भारतीयों को कार्डगत विदेशी मुद्रा शेष की उपयोग न की गयी राशि, उससे किए गए अंतिम लेनदेन की तारीख से 10 दिनों के बाद वापस प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है और तदनुसार यह शर्त ''यूज़र गाइड'' में बतायी गयी है। चूँकि ये कार्ड नकदी/यात्री चेक के बदले लेनदेन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, अतः उपयोगकर्ता को उपलब्ध सुविधा भी तदनुरूप होनी चाहिए।

तदनुसार, निवासी भारतीयों को जारी इन कार्डों में से शेष रही राशि के नकदीकरण के लिए प्राप्त अनुरोधों को ऐसे सभी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा, निम्नलिखित को छोड़ कर, तुरंत अदा करनी होगी :

ए) अधिकृत किंतु अदावाकृत रही/अर्जक द्वारा संबंधित निपटान चक्र के पूरा होने तक निपटान के लिए भुगतान की तारीख तक बकाया रही राशि ;

बी) संबंधित निपटान चक्र के पूरा न होने तक पाइपलाइनगत लेनदेनों को पूरा करने के लिए लघु राशि जो 100 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होगी; और

सी) भारत में रुपये में देय लेनदेन शुल्क / सेवा कर।

ऐसी राशि जो अधिकृत है किंतु अर्जक द्वारा अदावाकृत/ जिसका निपटान नहीं किया गया है, उसके संबंध में ऐसे कार्डों का जारीकर्ता उतनी राशि तब तक के लिए रोक कर रख सकता है जब तक अर्जक द्वारा विनिर्दिष्ट निपटान समयावधि में ऐसे लेनदेन प्रक्रियागत/निपटान के अधीन है। 14 जून 2005 के, समय-समय पर यथा संशोधित, उपर्युक्त परिपत्र में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 102, 2 अप्रैल 2012]

3. स्वर्ण के आयात से संबंधित डाटा - विवरण - संशोधन

यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण के आयात से संबंधित संपूर्ण रिपोर्टिंग प्रणाली को और तर्कसंगत बनाया जाए । तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अब से निम्नलिखित विवरण मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करेंगे:

i. नामित बैंको / एजेंसियों / रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत निर्यात उन्मुख इकाईयों (EOUs)/एसईजेड द्वारा आयातीत स्वर्ण की मात्रा, मूल्य और भुगतान-वार तरीके को दर्शाने वाला **अर्ध वार्षिक विवरण** (मार्च/सितंबर को समाप्त) संलग्नक 'ए' के अनुसार प्रस्तुत किया जाए;

ii. नामित एजेंसियों (नामित बैंकों को छोड़कर) / रत्न और जवाहरात क्षेत्रगत निर्यात उन्मुख ईकाईयों (EOUs)/ एसईजेड द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले माह के दौरान आयातित स्वर्ण की मात्रा और मूल्य के साथ-साथ रिपोर्ट किए जाने वाले माह के अंत में उनकी संचयी स्थिति को दर्शाने वाला **मासिक विवरण संलग्नक 'बी'** के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रथम माह से प्रस्तुत किया जाना प्रारंभ किया जाए।

उल्लिखित दोनों विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे भले ही आँकड़ों की स्थिति 'शून्य' हो और संबंधित माह/अर्ध वर्ष के अनुवर्ती माह की दस तारीख तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उल्लिखित कार्यालय को पहुँच जाने चाहिए । ये विवरण ई-मेल से भी प्रस्तुत किए जाएं ।

09 जुलाई 2004 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 02 में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 103, 03 अप्रैल 2012]

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी ।। - अतिरिक्त कार्यकलाप करने और नॉस्ट्रो खाता खोलने के लिए अनुमति

विप्रेषणों को भेजने में अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के तहत नॉस्ट्रो खाते खोलने के लिए अनुमति दी जाए:

i. प्रत्येक करेंसी के लिए केवल एक नॉस्ट्रो खाता खोला जा सकता है;

ii. इस खाते में जमा-शेष-राशि का उपयोग अनुमत प्रयोजनों हेतु किए गए विप्रेषणों के निपटान के लिए ही किया जा सकता है और उसका उपयोग विदेशी मुद्रा के प्रीपेड कार्डों के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है;

iii. इस खाते में ऐसी जमा-शेष-राशि न रखी जाए जिसका उपयोग न किया जा रहा हो; और

iv. वे समय-समय पर विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग अपेक्षा के अधीन होंगे।

06 मार्च 2006 के ज़्ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.25 ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज़) परिपत्र सं.02. में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 104, 04 अप्रैल 2012]

5. भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान 13 मार्च 2012 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं 91 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें विशेष करेंसी बास्केट के तहत 9 फरवरी 2012 से रुपये का मूल्य 68.838139 नियत किया गया था। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया जाता है कि इसके बाद 7 मार्च 2012 से इसमें पुनः और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 13 मार्च 2012 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 70.965327 रुपये नियत किया गया है।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 105, 10 अप्रैल 2012]

6. इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट (EBID) को एक्ज़िम बैंक की 150 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट के साथ पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र के उसके 15 सदस्य देशों अर्थात् बेनिन, बुरकिना फासो, केप वर्डे, कोटे डी आइवरी, गाम्बिया, घाना, गिनि, गिनि बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजेरिया, सेनेगल, सिएरा लिओन और टोगो को सुयोग्य वस्तुओं, परियोजना निर्यात और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं और उपकरणों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए 150 मिलियन अमरीकी डॉलर (एक सौ पचास मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 21 जुलाई 2011 को एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुएं, सेवाएं, मशीनरी

और उपकरण शामिल हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं।

ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 12 मार्च 2012 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 21 जुलाई 2011 है। इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (20 जुलाई 2017) होगी।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज)परिपत्र सं. 106,
12 अप्रैल 2012]

7. धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)करने संबंधी मानक - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने इस विषय पर 16 फरवरी 2012 को एक और विवरण जारी किया है , जो कतिपय क्षेत्राधिकारों के एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में कमियों के कारण उत्पन्न जोखिमों के संबंध में था । प्राधिकृत व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें । तथापि, इससे प्राधिकृत व्यक्तियों को इन देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध लेनदेन करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यक्तियों के सभी एजेंटों/फ्रेंचाइज़ीज़ को भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा फ्रेंचाइज़र्स का ही यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उनके एजेंट/फ्रेंचाइज़ीज़ भी इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं ।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 107,
17 अप्रैल 2012]

8. धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने संबंधी मानक - मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत सीमापार (क्रास बॉर्डर) से आवक धनप्रेषण

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने इस विषय पर 16 फरवरी 2012 को एक और विवरण जारी किया है, जो कतिपय क्षेत्राधिकारों के एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में कमियों के कारण उत्पन्न जोखिमों के संबंध में था। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें। तथापि, इससे प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को इन देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध लेनदेन करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये दिशानिर्देश मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंटों के सभी उप-एजेंटों को भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) का ही यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उनके उप-एजेंट भी इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 108
17 अप्रैल 2012]

9. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी ।। - अतिरिक्त कार्यकलाप करने और नॉस्ट्रो खाता खोलने के लिए अनुमति

नॉस्ट्रो खाते खोलने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। कंपनियां (एंटिटीज) नॉस्ट्रो खाते खोलने तथा उसके परिचालन के लिए एक बारगी अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं । 4 अप्रैल 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 104 के परिपत्र में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 109,
18 अप्रैल 2012]

10. रिपब्लिक ऑफ टोगो की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने टोगो में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं, सेवाओं, मशीनरी और उपकरणों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 23 नवंबर 2011 को एक करार किया है।

ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 30 मार्च 2012 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 23 नवंबर 2011 है । इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (22 नवंबर 2017) होगी ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 110, 20 अप्रैल 2012]

11. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति- उदारीकरण और युक्तिकरण

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति की समीक्षा करने और यूनियन बजट 2012-13 में की गई घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस बाबत मौजूदा दिशानिर्देशों को और युक्तिसंगत तथा उदार बनाया जाए :

(i) ऊर्जा (power) क्षेत्र के लिए पुनर्वित्त सीमा में वृद्धि करना

ऊर्जा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को **अनुमोदन मार्ग से** लिए गए नए बाह्य वाणिज्यिक उधार में से 40 प्रतिशत का उपयोग घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों के पुनर्वित्त हेतु उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते लिए जाने वाले प्रस्तावित नए बाह्य वाणिज्यिक उधार की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना/ओं के लिए नए पूंजी व्यय के लिए किया जाए। 23 सितंबर 2011 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं 25 में उल्लिखित रुपये की पुनर्वित्तीयन से संबंधित सभी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ii) सड़कों और महामार्गों के लिए चुंगी प्रणाली के रखरखाव और परिचालन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

सड़कों और महामार्गों के लिए चुंगी प्रणाली के रखरखाव और परिचालन के लिए **स्वचालित मार्ग से पूँजी व्यय** और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति भी दी जाएगी बशर्ते वह मूल परियोजना का हिस्सा हो।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 111, 20 अप्रैल 2012]

12. बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तीयन और ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण

समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्तीयन/ऋण की अवधि के पुनर्निर्धारण हेतु उधारकर्ता, **अनुमोदन मार्ग के तहत** उच्चतर समग्र लागत पर बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं बशर्ते बढ़ी हुई समग्र लागत मौजूदा दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत से अधिक न हो ।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 112, 20 अप्रैल 2012]

13. नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना अनुमत अंतिम उपयोग के अंतर्गत नहीं आता है। बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति की समीक्षा करने पर और वर्ष 2012-13 के लिए संघीय (यूनियन) बजट में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नागरिक विमानन क्षेत्रगत कार्यशील पूंजी हेतु, अनुमत मार्ग से, लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों को अंतिम उपयोग के रूप में मानने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाए:

i. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत और यात्री परिवहन (transportation) के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी अनुसूचित परिचालक के परमिट-लाइसेंस की धारक, एयरलाइन कंपनियाँ, कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र होंगी;

ii. एयरलाइन कंपनियों के नकदी प्रवाह, विदेशी मुद्रा के अर्जन और लिए गए ऋण की चुकौती करने की क्षमता के आधार पर, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाएगी;

iii. कार्यशील पूंजी के लिए, बाह्य वाणिज्यिक उधार, इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 12 माह के भीतर ले लिए जाने चाहिए;

iv. तीन वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार लिए जा सकते हैं; और

v. संपूर्ण नागरिक विमानन क्षेत्र के लिए, समग्र बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की उच्चतम सीमा **एक बिलियन अमरीकी डालर** होगी और किसी एक विमानन कंपनी को, **300 मिलियन अमरीकी डालर,** तक का अधिकतम, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस सीमा का उपयोग, कार्यशील पूंजी के साथ-साथ, घरेलू बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए रुपया ऋण (ऋणों) की बकाया राशि के पुनर्वित्त के लिए भी किया जा सकता है। कार्यशील पूंजी हेतु लिए गए रुपया ऋणों के पुनर्वित्त के लिए, बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा के उपयोग की इच्छुक विमानन कंपनियाँ, अपने घरेलू उधारदाता/ओं से लिए गए रुपया ऋणों की बकाया राशि के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

उल्लेखानुसार कार्यशील पूंजी/कार्यशील पूंजी के पुनर्वित्त हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार को रोल ओवर करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ, सनदी लेखाकार का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए जिसमें अपेक्षित कार्यशील पूंजीगत ऋण की राशि और प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) विदेशी मुद्रा का नकदी प्रवाह/अर्जन दिया गया हो, जिसका उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की चुकौती के लिए, ऐसी कंपनियां विदेशी मुद्रा हेतु भारतीय बाजार का इस्तेमाल न करें तथा इस बाबत देयता का निपटान उधार लेने वाली कंपनी के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन से किया जाए।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 113, 24 अप्रैल 2012]